पेंशन सुधार-वित्तीय आजादी के लिए रामबाण

स्वतंत्र भारत 15 अगस्त, 2007 को अपनी आजादी की 60वीं वर्षगांठ मनाएगा और हमारे लिए एक बार फिर अवसर होगा कि हम अतीत में देखें और अपनी उपलब्धियों की गिनती के साथ भविष्य के बारे में विचार करें ।

किसी राष्ट्र के विकास में 60 वर्ष कोई बहुत लम्बी अवधि नहीं होती परन्तु किसी व्यक्ति के जीवन में 60 वर्ष एक लम्बी अवधि होती है। 60 वर्ष की आयु में किसी राष्ट्र को आप युवा मान सकते हैं परन्तु एक नागरिक के लिए 60 वर्ष की पहचान सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त होने के रूप में होती है । यह वह बिन्दु भी हो सकता है जिस पर कोई अभिदाता नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) छोड़ सकता है ।

एनपीएस सेवानिवृत्ति के पश्चात अपर्याप्त आय की समस्या के समाधान की व्यवस्था करने का वचन देती है । नए कर्मचारियों जिनके लिए यह स्कीम अनिवार्य है, यह सुस्पष्ट लाभ से सुस्पष्ट अंशदान व्यवस्था की ओर बदलाव का संकेत देती है ।

एनपीएस सरकार की वैध देयता को परिभाषित करने, अभिदाताओं को विकल्प देने, श्रमिकों की सुवाह्यता सुसाध्य बनाने और निवेश के लिए विनियमित और सुरक्षित वातावरण के भीतर इस उद्योग में पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर आधारित है । यथासमय, एनपीएस प्रत्येक नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

व्यक्तिगत पसंद और पेंशन खातों की सुवाह्यता एनपीएस की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं । एनपीएस के अंतर्गत, अभिदाता को अपना सिर्फ निधि प्रबंधक और निवेश पद्धति के चयन का विकल्प ही नहीं होगा बल्कि उसे निधि प्रबंधकों के साथ-साथ निवेश विकल्प बदलने का भी विकल्प होगा । कोई अन्य पेंशन स्कीम ऐसी नम्यता और स्वतंत्रता की पेशकश नहीं करती है । प्रविष्टि और निकासी का कोई बोझ नहीं है ।

एनपीएस के अंतर्गत खाता धारकों को व्यष्टि पसंद की उपलब्धता के अतिरिक्त केन्द्रीकृत लेखाकरण और विशिष्टिकृत और इसी के लिए निर्मित आईटी मंच पर आधारित प्रशासनिक अवसंरचना सभी निधि प्रबंधकों की निधियों में तीव्र और बेरोकटोक संचालन सुसाध्य कराएंगी। इसकी लागत भी काफी प्रतिस्पर्धी होगी क्योंकि एनपीएस को मुख्यतया विद्यमान अवसंरचना पर चलाने के लिए तैयार किया गया है । अभिलेखपाल और निधियों के प्रबंधन की लागत भी प्रतिस्पर्धा तथा किफायत के स्तर के कारण धीरे-धीरे कम होती जाएगी जिससे वित्तीय मध्यस्थता में आमूल परिवर्तन हो जाएगा ।

पेंशन क्षेत्र का विकास पूंजी और ऋण बाजारों को दृढ़ता और स्थायित्व प्रदान करेगा और अवसरंचना विकास के लिए निधियां उपलब्ध कराएगा ।

सरकार का इरादा ईपीएफओ जैसी गैर सरकारी भविष्य निधियों को उपलब्ध पद्धति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की पेंशन राशि के निवेश की अनुमति देने का है । ईपीएफओ निवेश पद्धति स्टाकों में 5 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देती है । परन्तु असल में इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंडों में 10 प्रतिशत तक निवेश किया जा सकता है । यह कुल मिलाकर 15 प्रतिशत बैठता है ।

फिर भी, सावधान रहें । मात्र व्यक्तिगत पसंद का प्रयोग करने के अधिकार की उपलब्धता ही पेंशन क्षेत्र को मुक्त करने की समुचित स्थिति नहीं है । इस कल्पना को मूर्त रूप देने की पूर्व अपेक्षा है कि विकल्प के चयन की स्वतंत्रता का प्रयोग सोच-समझकर से किया गया है ।

आगे यह वित्तीय साक्षरता के स्तर, विशेषतया पेंशन स्कीम में नियमित बचत के लाभ पर निर्भर करेगा । पेंशन क्षेत्र के बारे में जनता की जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता भी अधिक जरूरी है क्योंकि हम एनपीएस के अंतर्गत आश्वासित प्रतिलाभ व्यवस्था से बाजारोन्मुखी व्यवस्था की ओर रूख करेंगे । अभिदाताओं में जागरूकता पैदा करने और उन्हें शिक्षित करने की चुनौती की गंभीरता को कम नहीं आंका जाना चाहिए । निस्संदेह, हमारी सबसे बड़े चुनौती होगी गांवों तक इस स्कीम का विस्तार करना।

राजनीतिक आजादी 60 वर्ष पहले जीती गई थी । एनपीएस प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को वित्तीय आजादी प्राप्त करने का अवसर मुहैया कराएगी ।